

अज्ञ अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना
विरेन्द्र सिंह बनाम रामा देवी वगै०
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मु०नं० 540 सन् 2022 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तारीख
में जारी हुए

9-2022

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश सैनी एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितों को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को जबाब पेश किये जाने तक उभय पक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 107, 118, 18, 23, 28, 31, 04, 42, 43, 44, 05, 59 कित्ता 12 रकबा 6.34 हैक्ट. अवस्थित ग्राम श्यामनगर पटवार हल्का मांकड़ी तहसील नीमकाथाना के विशिष्ट भू-भाग का बेचान नही करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

उक्त अन्तरिम टी.आई.आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने सम्बंधी विधिक प्रक्रिया की पालना में लागू नही होगी।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की टोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकट कर दी जायेगी। अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.10.2022 को पेश हो।


(विरेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (जेकर)



11/10/22 वकील जर्जी उपाडी उपाधी जं. 22 व 23 का
तामिल भाषा में एक पत्रिका कर्मचारी इमाल
में लानी जाती है शोध अडावकी गिण की तामिल भाषा
का पत्र। इतना तामिल विप्रेत पत्रावली भाषा
17/11/22 को पेश है।

17/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
PO साहब दीगर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 09/01/23
को पेश हो।

2

09/1/23 पत्रावली पेश हुई। जमिनायक संघ
आज अदालती कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 12/1/23 को पेश हो।

2

13/1/23 पत्रावली पेश हुई। जमिनायक संघ
आज अदालती कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 12/5/23 को पेश हो।

14/5/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
PO साहब दीगर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/2/23
नियत की जाती है।


7/7/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
PO साहब दीगर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/10/23
को पेश हो।

10/10/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
PO साहब दीगर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/1/24
को पेश हो।

19/1/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
PO साहब दीगर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/2/24
को पेश हो।

19/11/2024 पत्रावली पेश हुई। अधिकाधिक संवे
बाज अंतर्गत कार्य का स्थान कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 13/11 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। अधिकाधिक संवे
अधिकाधिक अनुपस्थित। बार-बार इजाजत लगावा
गयी। इजाजत लगवाने के उपरान्त भी प्राचीन की
आगे से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः
प्राचीन का प्राचीन पर इजाजत विशेषाज्ञा
अच्छ हाजरी अछूत पेशी के खातीज किन्तु
अतः पत्रावली पेश अछूत होकर नम्बर
से अछूत होकर दफ्तर दाखिल हो।


(राजवीर सिंह यादव)
उपस्थण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)